तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **मन्जूलता बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा)** सू.अ.अपील संख्या 164/2023	नं.व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.23	अपीलार्थी मन्जूलता गर्ग पत्नी स्व. कन्हैयालाल गर्ग निवासी 18ई/36, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2023 में (1) स्व. कन्हैयालाल गर्ग का संभवतया जून 77 से अक्टूबर 79 तक की अवधि का जी.ए. 55 (2) अन्य बिन्दूओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	